



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940
No. 14]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940

भारतीय दन्त परिषद

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

सं. डीई-97(2)-एम2-2018.—भारत सरकार के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 असाधारण में दिनांक 19.09.2018 को प्रकाशित संशोधित दन्त (नैतिक आचरणावली) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2018 के अंग्रेजी पाठ की अधिसूचना सं.डीई-97(2)-2018 दिनांक 05.09.2018, में निम्न का लोप करके आंशिक आशोधन किया जाता है:

लघु शीर्षक और प्रारंभ के अन्तर्गत उपविनियम 1(i) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “ड्राफ्ट” का इसके द्वारा लोप किया जाता है।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./493/18]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th December, 2018

No. DE-97(2)-M2-2018.—In partial modification of English version of notification No.DE-97(2)-2018 dated 05.09.2018 of Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary on 19.09.2018, the following deletion is made :—

The word “Draft” in the first line of Short title and commencement under clause 1(i) is hereby deleted.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./493/18]